

**APPLICATION FOR SECOND MOBILE PHONE CONNECTION FOR A MEMBER OF
PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES
(MEMBERS OF PARLIAMENT), 1956 (AS AMENDED)**

Dated:

From:

_____, M.P.
(Name in Block Letters)

To

The Deputy Secretary,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

In addition to my existing MTNL Delhi Dolphin Mobile Connection
Number _____ of MTNL, kindly arrange to:

Option-I

Provide me the 2nd Mobile of MTNL Delhi Dolphin with National roaming facility in Delhi/
New Delhi.

OR

Option-II

Provide me the 2nd Mobile Phone Connection of BSNL for my constituency
namely _____ District _____
State _____ with National roaming facility for my use as
a Member of Parliament.

OR

Option-III

Convert my existing Post paid connection of MTNL/BSNL bearing
Number _____ (which is working in my name only) to MP quota
and provide National roaming.

2. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues, in excess
of those payable under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules,
1956 (as amended), in respect of phone(s).

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्य के लिए द्वितीय मोबाइल फोन कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र

दिनांक

प्रेषक, संसद सदस्य
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में,
उप सचिव
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली-110001

महोदय/महोदया,

कृपया एमटीएनएल के मेरे मौजूदा एमटीएनएल दिल्ली डॉल्फिन मोबाइल कनेक्शन संख्या
के अतिरिक्त मुझे:

विकल्प-एक

दिल्ली/नई दिल्ली में एमटीएनएल दिल्ली डॉल्फिन का नेशनल रोमिंग की सुविधा युक्त दूसरा मोबाइल प्रदान करें।

अथवा

विकल्प-दो

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिला
राज्य के लिए संसद सदस्य के रूप में मेरे द्वारा प्रयोग किए जाने
के लिए नेशनल रोमिंग की सुविधा युक्त बीएसएनएल का दूसरा मोबाइल फोन कनेक्शन प्रदान करें।

अथवा

विकल्प-तीन

..... नंबर वाले एमटीएनएल/बीएसएनएल के मेरे मौजूदा पोस्टपेड कनेक्शन
(जो कि मेरे नाम पर है), को संसद सदस्य कोटा में परिवर्तित करें तथा उस पर नेशनल रोमिंग प्रदान करें।

2. मैं आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत उपरोक्त फोन के संबंध में दूरसंचार, एमटीएनएल तथा बीएसएनएल को देय राशि से अतिरिक्त के सभी देय का पूर्ण भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

भवदीय,

संसद सदस्य

पहचान पत्र सं

निर्वाचन क्षेत्र